दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

क्रमाँक : एफ-32/पी.सी./ए.क्यू.सी.89/डी०-२० दिनाँक: 16/03/18

विषय :- श्री श्रीदत्त शर्मा, विधायक द्वारा पूछे गये विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 89 दिनांक20.03.2018 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
(क)क्या यह सत्य है कि 31/12/2017 से पहले टॉयलेट कॉम्पलेक्सेज पे एण्ड यूज स्कीम के अंतर्गत चल रहे थे;	जी हाँ,यह सत्य है।
(ख)टॉयलेट प्रयोग करने वाले लोगों से 31-12-2017 तक चार्ज के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित कर डीयूएसआईबी के खाते में जमा की गयी	जो राशि रखरखाव व देखभाल एजेन्सी द्वारा प्रयोग करने वाले लोगों से एकत्र की जाती थी वह राशि एजेन्सी द्वारा रखरखाव के लिए खर्च की जाती थी। इसका कोई रिकार्ड डूसिब के पास नहीं है।
(ग)पे एण्ड यूज योजना के तहत चार्ज की गई राशि वसूल करने और खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नामों का विवरण क्या है;	उपरोक्त
(घ)क्या यह सत्य कि टायलेट कॉम्पलेक्स और नाइट शेल्टर्स आदि डीयूएसआईबी की सम्पत्ति के लिए बिजली के कनैक्शन एजेन्सी/एनजीओ के नाम से लिये जाते हैं ;	जी हाँ, यह सत्य है।
(ड़)यदि हॉ तो विभाग के नाम की बजाय किसी एजेन्सी/एनजीओ के नाम से कनैक्शन लेने के प्रशासनिक निर्णय की प्रति और यह निर्णय लेने वाले अधिकारी के नाम का विवरण प्रस्तुत करे;	पहले से चलती प्रथा एवं निविदा की शर्तो के अनुसार,अधिशासी/अधीक्षण/ मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्णय लिया जाता है।
(च)डीयूएसआईबी द्वारा पिछले दस वर्षों में कितनी टॉयलेट वैन्स किस दर पर खरीदी गई;	1 चार सीटर मोबाइल टॉयलेट वेन -29 nos- 85.38 लाख रूपये 2 दस सीटर मोबाइल टॉयलेट वेन -16 nos- 63.47 लाख रूपये
(छ) ऐसी खरीद को नॉन शेड्यूल रेट्स पर खरीदने की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी का विवरण क्या	अधिक्षण अभियन्ता (इ एण्ड एम) की अध्यक्षता में गठित कमैटी यह स्वीकृति प्रदान

है;	करती है।
(ज) पिछले दस वर्षों में मोबाइल टॉयलेट खरीदने और रखरखाव पर व्यय कुल धनराशी का विवरण क्या है।	कुल खर्च - 567 लाख रूपये।
(झ) कितनी टॉयलेट वेन्स स्थायी तौर पर एमसीडी या किसी न्य विभाग को स्थायी तौर पर सौंपी गयी हैं;	28 नम्बर मोबाइल टॉयलेट वेन एमसीडी को स्थायी तौर पर सौंपी गयी हैं;
(ट)पिछले दस वर्षों में इनकी कीमतकी कितनी राशि प्राप्त कर डीयूएसआईबी के खाते में जमा की गयी?	उपरोक्त के सन्दर्भ में कोई धन राशि प्राप्त नही की गयी है।

यह उत्तर सक्षम आधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

उप निदेशक (ससंद प्रकोष्ट)

उप सचिव (श .वि.), दिल्ली सचिवालय,दिल्ली सरकार